



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072026-274681
CG-DL-E-21072026-274681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2026/आषाढ 30, 1948

No. 586]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2026/ASHADHA 30, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 645(अ).—भारतीय पत्तन नियम, 2026 का प्ररूप भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2026 की, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि अवसान होने से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 23 जनवरी, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है।

अब, अतः केंद्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 76 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ) और (ञ) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 78 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), और (ङ) से (ण) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पत्तन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू होना- (क) इन नियमों के उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे-

(i) सभी महापत्तन; और

(ii) सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड

(iii) के अधीन यथा अधिसूचित पत्तनों की ओर जाने वाली अधिसूचित नाव्य नदियों या जलसरणी का एक या अधिक भाग;

(ख) नियम 12 से 23, नियम 25, नियम 26 से 29 और नियम 30 के उपबंध महापत्तनों से निम्न पत्तनों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) "अग्रिम अपशिष्ट सूचना" से आगमन-पूर्व घोषणा अभिप्रेत है जिसमें इन नियमों के अनुसार, अधिनियम की धारा 39 के अधीन दी गई जलयान पर और पत्तन पर निस्सारण हेतु आइयित अपशिष्ट संबंधी सूचना निहित हो।

(ग) "अभिकर्ता" से वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 3 के खंड (3) के अधीन यथापरिभाषित अभिकर्ता अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से प्ररूप संलग्न अभिप्रेत है।

(ङ) "स्वास्थ्य अधिकारी" से अधिनियम की धारा 24 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "घटना" से अधिनियम की धारा 67 में निर्दिष्ट कोई घटना अभिप्रेत है;

(छ) "समुद्रीय एकल खिड़की" से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है जो अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय यातायात को सुकर बनाने के लिए अभिसमय, 1965 के अनुसार पत्तन और पोत रिपोर्टिंग औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए मानकीकृत सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है;

(ज) "अवरोध का स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया संबंधित परमिट, अनुदान, अनुज्ञप्ति या अन्य विधिमाम्य लिखत है जिसके अधीन अवरोध स्थापित या अनुरक्षित किया जाता है, और इसमें कोई भी रियायतग्राही, पट्टेदार या प्रचालक शामिल है जो अनुबंध या विधि के अधीन ऐसे अवरोध के अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है;

(झ) "प्रदूषण घटना" से किसी जलयान, पत्तन सुविधा या पत्तन सीमा के भीतर होने वाले प्रचालन से उत्पन्न होने वाली कोई भी घटना, परिस्थिति या स्थिति अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण होता है या होने की संभावना होती है।

(i) तेल, तैलीय मिश्रण, तैलीय अवशेष का निस्सारण, निकास, स्राव या फैलना;

(ii) हानिकारक तरल पदार्थों का रिसाव या रिसाव का खतरा;

(iii) एमएआरपीओएल के अधीन हानिकारक पदार्थों का निस्सारण या निस्सारण का खतरा;

(iv) समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक सीवेज, कूड़ा, प्लास्टिक, रसायन या अपशिष्ट की निर्मुक्ति।

(v) कोई भी ऐसी स्थिति जो निम्नलिखित के लिए जोखिम पैदा करती हो:

- (क) तटीय आबादी और तटीय जल के प्रयोक्ताओं का स्वास्थ्य;
- (ख) मत्स्य पालन और अन्य जीवित समुद्री संसाधन;
- (ग) तटीय और पत्तन संस्थापनाएं, सुविधाएं और सेवाएं;
- (घ) तटीय क्षेत्र के पर्यटन आकर्षण स्थल, सुविधाएं और अन्य आर्थिक हित; या
- (ङ) समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण

(vi) जीवन या, संपत्ति या पर्यावरण को खतरा;

- (ज) “योजना” से इस अधिनियम की धारा 38 के अधीन तैयार और कार्यान्वित की गई पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और हैंडलिंग योजना अभिप्रेत है;
- (ट) “प्राप्ति” से अधिनियम की धारा 48 के अनुसरण में फीस या अन्य प्रभारों के संदाय के साक्ष्य के रूप में जारी की गई औपचारिक अभिस्वीकृति अभिप्रेत है;
- (ठ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ड) “तट आधारित कल्याण सेवाएं” से समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 के विनियम 4.4 के अधीन परिकल्पित और समुद्री प्रशासन महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए, समय-समय पर यथा अद्यतित, मार्ग दर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट सुविधाएं और सेवाएं अभिप्रेत हैं;
- (ढ) “अपशिष्ट परिदान पावती” से किसी पत्तन द्वारा अधिनियम की धारा 40 की उप धारा (2) के अनुसार किसी रिसेप्शन सुविधा द्वारा किसी जलयान से अपशिष्ट की अभिस्वीकृति प्राप्ति की जारी पावती अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

अध्याय 2

प्रशासन

4. समुद्रीय राज्य विकास परिषद में अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति- (1) केन्द्रीय सरकार जब कभी आवश्यक हो, समुद्रीय राज्य विकास परिषद के कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए परिषद में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध या प्रतिनियुक्त कर सकती है।

2. उपनियम (1) के अधीन प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें लागू नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे और समय-समय पर यथा पुनरीक्षित या संशोधित किए गए तत्स्थानों ग्रेडों को अनुज्ञेय भत्ते भी लागू होंगे।

5. अन्य पत्तन अधिकारी- प्रत्येक पत्तन, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के तहत अधिनियम के अधीन समुद्री प्रचालन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, सुरक्षा और अन्य कार्यों से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संरक्षक और हार्बर मास्टर के अतिरिक्त, ऐसे अन्य पत्तन अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है।

परंतु कि एक या एक से अधिक अधिकारियों को ऐसे सभी या किसी भी कार्य या उसके भागों का निर्वहन सौंपा जा सकता है।

6. अन्य पत्तन अधिकारियों का वेतन एवं भत्ते- नियम 5 के अधीन नियुक्त अधिकारियों का वेतन और भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

7. अन्य पत्तन अधिकारियों की सेवा शर्तें- नियम 5 के अधीन नियुक्त अन्य पत्तन अधिकारियों की सेवा की शर्तें, जैसे अवकाश, कार्यकाल, परिवीक्षा अवधि, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता, कार्य घंटे, प्रोन्नति, ज्येष्ठता आचरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही पत्तन के सेवा विनियमों के अनुसार होंगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अन्यथा निदेशित न किया जाए।

8. कतिपय मामलों में शिथिल करने की शक्ति- केंद्रीय सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके, नियम 5 के अधीन नियुक्त अधिकारियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के लिए वर्गीकरण, नियुक्ति और उनकी पात्रता के संबंध में नियम 5, 6 या 7 के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

9. संरक्षक की शक्तियों का प्रत्यायोजन- (1) संरक्षक, सरकार के अनुमोदन से, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (6) के अधीन यथाअपेक्षित अपनी सभी या कोई भी शक्तियाँ, किसी अन्य पत्तन के अधिकारियों को प्रत्योजित सकता है।

(2) संरक्षक द्वारा, उप-नियम (1) के अधीन कोई भी प्रत्यायोजन-

(क) लिखित में होगा;

(ख) प्रत्येक मामले में प्रत्यायोजन की प्रकृति और विस्तार विनिर्दिष्ट होगा;

(ग) जहां संरक्षक व्यक्तियों का एक निकाय है, तो ऐसे निकाय के साधारण या विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जाएगा।

(3) संरक्षक को सरकार के अनुमोदन से पत्तन की सुरक्षा, संरक्षा के हित में या किसी अन्य लेखबद्ध किए गए कारण से, यदि आवश्यक समझे जाए, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय शक्तियों के प्रत्यायोजन को रद्द करने, बदलने या निलंबित करने का अधिकार होगा।

10. स्वास्थ्य अधिकारी - (1) अधिनियम धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक महापत्तन के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी होगा।

(2) स्वास्थ्य अधिकारी पत्तन पर स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिनियम के अधीन या केंद्रीय सरकार के निदेशों द्वारा उसे सौंपे गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 का अनुपालन भी शामिल है।

11. प्राप्ति जारी करना - अधिनियम की धारा 48 के अधीन फीस या अन्य प्रभार प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या व्यक्तियों का निकाय ऐसे संदाय की प्राप्ति रसीद जारी करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन जारी की गई सभी प्राप्तियों में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।

(3) संदायकर्ता के लिखित अनुरोध पर जिसके साथ, पहचान और संदाय प्रमाण हो, एक अनुलिपि प्राप्ति जारी की जा सकती है।

(4) सभी प्राप्तियां, जारी किए जाने की तारीख से न्यूनतम सात वर्ष की अवधि के लिए रखी जाएंगी।

(5) प्राधिकरण, ऐसी प्राप्तियों को जारी करने के लिए रूप विधान, डिजिटल टेम्पलेट्स या मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

अध्याय 3**प्रदूषण**

12. पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं का उपबन्ध - (1) प्रत्येक पत्तन, बिना किसी अनुचित देरी के, अधिनियम की धारा 36 के अधीन यथाअपेक्षित, पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं स्थापित, संचालित और अनुरक्षित करेगा, जो पत्तन का उपयोग करने वाले जलयानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाए-

(क) पत्तन पर आने वाले जलयानों का आकार, प्रकार और यातायात प्रोफाइल;

(ख) सामान्य रूप से परीदत्त जलयान-जनित अपशिष्ट की प्रकृति, आवृत्ति और मात्रा; और

(ग) पत्तन की प्रचालन विशेषताएं, जिनमें बर्थ विन्यास, टर्मिनल अतिविन्यास आउट और हैंडल किया गया कार्गो शामिल है।

(2) पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं एमएआरपीओएल अभिसमय के निम्नलिखित उपाबंधों के अनुसार, जलयान-जनित अपशिष्ट और अवशेषों को प्राप्त करने, अलग करने और संभालने, जैसा कि लागू हो, में सक्षम होंगी:-

(क) तेल, तैलीय मिश्रण, कीचड़, बिल्ज वाटर, टैंक वॉशिंग और निकास गैस सफाई प्रणाली के अवशेष से संबंधित उपाबंध 1;

(ख) हानिकारक तरल पदार्थ वाले अवशेष और मिश्रण से संबंधित उपाबंध 2;

(ग) सीवेज, जिसमें उपचारित और अनुपचारित ब्लैक वॉटर और ग्रे वॉटर शामिल है, से संबंधित उपाबंध 4;

(घ) प्रवर्गवार अलग किया गया कचरा, जिसमें प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट, प्रचालन अपशिष्ट, कार्गो अवशेष और ई-अपशिष्ट शामिल है, से संबंधित उपाबंध 5; और

(ङ) ओजोन-क्षयकारी पदार्थ, निकास गैस सफाई प्रणाली के अवशेष और अन्य वायु प्रदूषण नियंत्रण अवशेष से संबंधित उपाबंध 6

(3) जहां लागू हो, पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं पत्तन पक्ष के दायित्वों और जलयानों पर अनुमोदित बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणालियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बैलास्ट जल प्रबंधन अभिसमय के अनुच्छेद 5 के अनुसार बैलास्ट जल और तलछट प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त होंगी।

(4) उप-नियम (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए, पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की उपयुक्तता का निर्धारण निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, अर्थातः

(क) क्षमता, जिसमें लगातार पोर्ट ऑफ कॉल के बीच सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को हैंडल करने के लिए पर्याप्त भंडारण, उपचार या अंतरण क्षमता शामिल है;

(ख) उपलब्धता, जिसमें प्रचालन के घंटे, प्रतिक्रिया समय और उचित सूचना पर कचरा प्राप्त करने की क्षमता शामिल है;

(ग) सगम्यता, जिसमें जलयान के प्रचालन में हस्तक्षेप किए बिना बर्थ, लंगर या टर्मिनलों पर सुरक्षित और व्यावहारिक पहुंच शामिल है;

(घ) पृथक्करण और अनुकूलता, यह सुनिश्चित करते हुए कि कचरे की विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग और डाउनस्ट्रीम उपचार या निपटान प्रणालियों के साथ संगत तरीके से हैंडल किया जाए;

(ङ) पर्यावरण और सुरक्षा नियंत्रण, जिसमें रिसाव रोकथाम, संरोधक, व्यावसायिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था शामिल है; और

(च) जलयानों के साथ इंटरफ़ेस, जिसमें मानक पोत फलक प्रवाह व्यवस्था, होज़, कपलिंग और कनेक्शन पॉइंट के साथ अनुकूलता शामिल है।

(5) पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की योजना और प्रचालन मांग-प्रतिक्रिया दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें अग्रिम अपशिष्ट नोटिस के माध्यम से जानकारी, कचरा परिदान संबंधी ऐतिहासिक डाटा, सुविधाओं की कथित अपर्याप्तता की कोई भी शिकायत या रिपोर्ट और जलयान प्रौद्योगिकी, ईंधन के प्रकार, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या अपशिष्ट धाराओं में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखा जाएगा।

(6) उप-नियम (2) से (5) के बिना, पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं, जहां तक व्यावहारिक हो, निम्नलिखित को प्राप्त करने में सक्षम होंगी:

(क) अनुकूली ईंधन, तट बिजली प्रणालियों और उत्सर्जन-उपशमन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पन्न कचरा; और

(ख) तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में जलयान-जनित अपशिष्ट की कोई भी अतिरिक्त प्रवर्ग जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(7) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि पत्तन के लिए हर बर्थ पर अपशिष्ट के लिए समान सुविधाएं प्रदान करनी अपेक्षित है, परंतु कि जलयान-जनित अपशिष्ट की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी अनुचित देरी और समुद्र में अविधिपूर्ण निस्सारण के जोखिम के बिना, पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्था मौजूद हो।

(8) पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की डिजाइन, संनिर्माण और प्रचालन अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट तकनीकी और प्रचालन मानकों के अनुरूप होगा।

(9) पत्तन रिसेप्शन सुविधा पर प्राप्त कचरे के संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन बनाए गए घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार आवश्यक प्राधिकार या अनुमोदन प्राप्त करना होगा और ऐसी सुविधाओं पर प्राप्त अपशिष्ट के भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन, निपटान आदि उक्त नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(10) पत्तन पर उत्पन्न या जलयानों से प्राप्त स्वच्छता अपशिष्ट का निपटान और उपचार लागू घरेलू ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार किया जाएगा।

13. पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और हैंडलिंग योजना का प्ररूप और रीति- (1) अधिनियम की धारा 38 की उप धारा (1) के अधीन बनाई गई पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और हैंडलिंग योजना में, न्यूनतम रूप से, निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे -

(क) पत्तन या टर्मिनल पर सामान्य रूप से आने वाले पोत की आवश्यकता के आलोक में, अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन;

- (ख) अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं के प्रकार और क्षमता का विवरण;
- (ग) विहित अपशिष्ट की प्राप्ति और संग्रह की प्रक्रियाओं का विस्तृत ब्यौरा;
- (घ) प्रभार प्रणाली, यदि कोई हो, का विवरण;
- (ङ) पत्तन या टर्मिनल का उपयोग करने वाले व्यक्तियों, अपशिष्ट संविदाकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों के साथ चल रहे परामर्श की प्रक्रियाएं;
- (च) प्राप्त और हैंडल किए गए विनिर्दिष्ट अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा

(2) योजना में निम्नलिखित भी शामिल हो सकते हैं:

- (क) डिलीवरी के लिए सुसंगत विधान और औपचारिकताओं का सारांश;
- (ख) योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान;
- (ग) हार्बर या टर्मिनल में पूर्व-उपचार उपकरण और प्रक्रियाएं, यदि हो, का विवरण;
- (घ) प्राप्त विनिर्दिष्ट अपशिष्ट की मात्रा अभिलिखित करने की विधियों का विवरण;
- (ङ) इसका विवरण कि विनिर्दिष्ट कचरे का निपटान कैसे किया जाता है।

(3) योजना में सभी हार्बर या टर्मिनल उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली निम्नलिखित जानकारी भी शामिल हो सकती है, अर्थात्

- (क) विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के उचित परिदान के मौलिक महत्व का एक संक्षिप्त निर्देश;
- (ख) प्रत्येक बर्थ पर लागू अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं की अवस्थिति, जिसके साथ एक आरेख या मानचित्र हो;
- (ग) सामान्य रूप से निपटाए जाने वाले विनिर्दिष्ट अपशिष्ट की सूची;
- (घ) संपर्क बिंदुओं, प्रचालकों और दी जाने वाली सेवाओं की सूची;
- (ङ) परिदान की प्रक्रियाओं का विवरण;
- (च) प्रभार्य प्रणाली यदि कोई हो, का विवरण; और
- (छ) अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं की कथित अपर्याप्तता की रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं।
- (ज) संग्रहित अपशिष्ट के संबंध में सूचना और अभिलेख, एमएआरपीओएल के अधीन उल्लिखित अपशिष्ट प्रवर्गों के अतिरिक्त घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार दर्ज किए जाएं।

(4) पत्तन, अभिकर्ताओं सहित पणधारियों के परामर्श से योजना तैयार करेगा और योजना को, बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात्, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा अंगीकृत सुसंगत रूप विधान के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में प्रकाशित और बनाए रखेगा।

14. योजना की समीक्षा और उपलब्धता- (1) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में योजना की समीक्षा की जा सकती है।

(2) योजना पत्तन उपयोगकर्ताओं को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित रीति से उपलब्ध कराई जाएगी।

15. योजना के संबंध में जलयानों को संसूचित की जाने वाली जानकारी- (1) प्रत्येक पत्तन यह सुनिश्चित करेगा कि योजना की निम्नलिखित न्यूनतम जानकारी उस पत्तन का सामान्य रूप से उपयोग करने वाले जलयानों को संसूचित की जाए, अर्थात्

(क) नियम 12 के अनुसार पत्तन और योजना की विशिष्टियां।

(ख) संपर्क और आपातकालीन जानकारी, जिसके अंतर्गत —

(i) सुसंगत संपर्क बिंदुओं की सूची हैं;

(ii) अपशिष्ट संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पर्यावरण या स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क विवरण हैं।

(ग) शिकायत और फीडबैक तंत्र, जिसके अंतर्गत —

(i) अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन रिपोर्टिंग प्रारूप और निर्दिष्ट संपर्क बिंदु के संदर्भ में; जहां लागू हो, रिसेप्शन सुविधाओं की कथित अपर्याप्तता या अनुपलब्धता पर जलयानों द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया है,

(ii) इसका उल्लेख करना कि शिकायत की प्राप्ति और उसका समाधान किस प्रकार होगा।

(घ) पर्यावरण और सुरक्षा अपेक्षाएं, जैसेकि —

(i) कचरे के परिधान के दौरान लागू कोई भी पत्तन-विशिष्ट पर्यावरणीय या व्यावसायिक सुरक्षा अपेक्षाएं, जिनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यातायात नियंत्रण और रिसाव रोकथाम उपाय शामिल हैं;

(ii) अपशिष्ट अंतरण प्रचालकों से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रतिषेध या संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित रीति से संसूचित की जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन सूचना, योजना में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाने के लिए, प्राधिकरण द्वारा व्यावहारिक रूप से, जहाँ तक संभव हो, अद्यतन रखी जाएगी।

(4) प्रत्येक पत्तन, कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित रखेगा—

(क) विभिन्न समयों पर संसूचित सूचना दर्शानेवाली प्रतियाँ;

(ख) पत्तन प्राप्ति सुविधाओं की सूचना की पर्याप्तता, पहुँच या स्पष्टता के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत के रिकॉर्ड, और उन पर कृत कार्रवाई।

16. अग्रिम अपशिष्ट नोटिस - (1) पत्तन पर आगमन की मंशा वाला प्रत्येक जलयान, अधिनियम की धारा 39 के अधीन पोर्ट ऑफ कॉल को एक अग्रिम अपशिष्ट नोटिस प्रस्तुत करेगा।

(2) अग्रिम अपशिष्ट नोटिस इसे नजरअंदाज करते हुए प्रस्तुत की जाएगी कि जलयान:

(क) कचरा निस्सारण करने का इरादा रखता है;

(ख) उसके पास निस्सारण करने के लिए कोई कचरा नहीं है; या

(ग) सभी कचरा जलयान पर रखना चाहता है।

(3) अग्रिम अपशिष्ट नोटिस दिया जाएगा:

(क) जलयान के आगमन से कम से कम 24 घंटे पहले; या

(ख) यदि यात्रा 24 घंटे से कम है, तो पिछले पत्तन से प्रस्थान का समय; या

(ग) यदि पोर्ट ऑफ कॉल का 24 घंटे से कम समय पहले पता चलता है, तो जैसे ही जानकारी उपलब्ध हो।

(4) प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, यथाव्यवहार्य, अद्यतन किया जा सकता है।

- (5) अग्रिम अपशिष्ट नोटिस, प्ररूप-1 के अनुरूप प्रदान किया जाएगा, जैसा इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट है।
- (6) अग्रिम अपशिष्ट नोटिस, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट साधनों से, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दी जाएगी।
- (7) पत्तन, प्रशासनिक और लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए अग्रिम अपशिष्ट नोटिस का रिकॉर्ड रखेगा, जैसा कि वह अवधारित करे।
- (8) किसी भी पणधारी को अग्रिम अपशिष्ट नोटिस उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

17. अपशिष्ट परिदान की बाध्यताएं- (1) जब तक उप-नियम (2) के अधीन छूट न दी गई हो, पत्तन पर आने वाले जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि मार्पोल (एमएआरपीओएल) अभिसमय के उपबंधों के अनुसार, समुद्र में विधिपूर्ण रूप से निस्सारित नहीं किए जा सकने वाले सभी जलयान-जनित कचरे को जलयान के पत्तन से प्रस्थान करने से पहले एक उपयुक्त पत्तन रिसेप्शन सुविधा को सौंपा जाएगा जैसाकि धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है।

(2) एक पत्तन किसी जलयान को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट बाध्यता से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे सकता है, जहां मास्टर, संरक्षक या ऐसे नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित करता हो कि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों और मापदंडों को पूरा किया गया है।

(3) संरक्षक या उनके द्वारा नियुक्त ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति जो, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट का लिखित में अभिलेख करेगा कि-
(क) जलयान के पास बोर्ड पर शेष और अगले पोर्ट ऑफ कॉल तक उत्पन्न होने वाले सभी जलयान-जनित कचरे के लिए पर्याप्त समर्पित और अलग भंडारण क्षमता है, ताकि एमओआरपीओएल अभिसमय के उल्लंघन में समुद्र में बिना किसी प्रवाह के यात्रा जारी रखी जा सके; और

(ख) जलयान-जनित कचरे की संबंधित श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य विश्वसनीय और सार्वजनिक रूप से सुलभ स्रोतों के माध्यम से प्रकाशित जानकारी को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त और उपयुक्त पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं कॉल के अगले पत्तन पर उपलब्ध हैं।

(4) उप-नियम (2) के अधीन दी गई कोई भी छूट लिखित रूप में दर्ज की जाएगी और लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए पत्तन द्वारा अवधारित रीति से रखी जाएगी।

(5) पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की अस्थायी ओवरलोडिंग, खराबी या अनुपलब्धता की स्थितियों में, संरक्षक, जहां तक व्यावहारिक हो—

(क) उन जलयानों को प्राथमिकता देगा जो उनके प्रकार, कार्गो, ईंधन या कचरे की विशेषताओं को देखते हुए समुद्री प्रदूषण का ज्यादा जोखिम प्रदान करते हैं;

(ख) अनुकल्पी रिसेप्शन व्यवस्था करने के लिए आस-पास के पत्तनों और सक्षम अधिकारियों, जैसा उचित हो, प्राधिकृत अपशिष्ट रिसेप्शन प्रचालकों, और अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी देरी या अनुकल्पी व्यवस्था के परिणामस्वरूप समुद्र में जलयान-जनित कचरे का गैर-कानूनी निस्सारण न हो।

18. अपशिष्ट परिदान की प्राप्ति - (1) प्रत्येक रिसेप्शन सुविधा, जलयान से कचरा प्राप्त करने पर अपशिष्ट परिदान की प्राप्ति जारी करेगी जैसा अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है।

(2) अपशिष्ट परिदान प्राप्ति की एक प्रति निम्नलिखित को प्रदान की जाएगी-

(क) मास्टर,

(ख) जलयान के अभिकर्ता, और

(ग) पत्तन या प्राधिकरण

(3) अपशिष्ट परिदान प्राप्ति, इसके लिए पत्तन द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) जलयान की विशिष्टियां, नाम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन नंबर सहित;

(ख) एमएआरपीओएल अभिसमय के निम्नलिखित उपाबंधों के अनुसार सौंपी गई कचरा प्रवर्ग;

(i) तैलीय कचरा या स्लज या बिल्ज से संबंधित उपाबंध-1;

(ii) हानिकारक तरल अवशेष से संबंधित उपाबंध- 2;

(iii) सीवेज से संबंधित उपाबंध- 4;

(iv) कचरा प्रवर्ग क-छ से संबंधित उपाबंध-5;

(v) निकास (एग्जास्ट) गैस सफाई अवशेष से संबंधित उपाबंध- 6;

(ग) सौंपी गई कचरे की मात्रा, माप की इकाई सहित;

(घ) कचरा प्राप्त करने वाली पत्तन रिसेप्शन सुविधा का विवरण;

(ङ) सौंपने की तारीख और समय;

(च) कचरे की प्राप्ति की स्थिति, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति शामिल है;

(छ) कचरे की प्राप्ति और आगे प्रबंधन या स्थानांतरण की पुष्टि, जैसा भी लागू हो; और

(ज) पत्तन रिसेप्शन सुविधा और जलयान के मास्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण।

(4) अपशिष्ट परिदान प्राप्ति अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप में जारी की जा सकती है।

(5) जलयानों से अपशिष्ट प्रवाह पूरा होने के एक घंटे के भीतर अपशिष्ट परिदान प्राप्ति जारी किया जाएगा और यदि एक घंटे के भीतर रसीद जारी नहीं की जाती है, तो देरी और उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(6) अपशिष्ट परिदान प्राप्ति में सभी मात्राएं मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त की जाएंगी, और दशमलव संकेतन का संगत उपयोग किया जाएगा।

(7) अपशिष्ट परिदान प्राप्ति अंग्रेजी में होगी, और सुविधा के लिए किसी भी अतिरिक्त भाषा में अनुवाद प्रदान किया जा सकता है और असंगति की दिशा में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(8) जहां कचरा एक से अधिक बैच में परिदान किया जाता है, अलग-अलग अपशिष्ट परिदान प्राप्ति जारी किए जा सकते हैं।

(9) रिसेप्शन सुविधा, सभी अपशिष्ट परिदान प्राप्ति का डिजिटल या भौतिक अभिलेख बनाए रखेगी और अपेक्षानुसार किसी भी पणधारी के साथ साझा कर सकती है।

(10) पत्तन या रिसेप्शन सुविधा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट परिदान प्राप्ति के संबंध में अपलोड किए जाने वाले सभी आवश्यक डाटा क्षेत्र, अधिनियम की धारा 43 के अनुसार सटीक और समय पर पूरे किए गए हैं।

19. लेखापरीक्षा - (1) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन रिसेप्शन सुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्तता की जांच के प्रयोजनों से लेखापरीक्षा की जाएगी और ऐसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की लेखापरीक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-

(क) मार्पोल अभिसमय के उपाबंध 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अनुसार पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की पर्याप्तता और प्रचालन स्थिति;

(ख) योजना का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता;

(ग) जलयानों से प्राप्त कचरे के निपटान के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन, जिसमें सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट नियमों और अन्य लागू घरेलू पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन का सत्यापन शामिल है।

(घ) बैलास्ट जल प्रबंधन अभिसमय के अनुसार पत्तन-पक्ष की सुविधाओं और बाध्यताओं पर लागू सीमा तक अनुपालन और प्रचालन तत्परता।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानकों और समुद्री प्रशासन महानिदेशक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक पत्तन की हर दो वर्ष कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(3) ऐसी द्विवार्षिक लेखापरीक्षा, समुद्री प्रशासन महानिदेशक के सम्यक रूप से प्राधिकृत लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(4) लेखापरीक्षा प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

(क) पत्तन के समग्र अनुपालन स्तर का संक्षिप्त सारांश;

(ख) जिम्मेदार पक्ष, समयबद्ध सुधारात्मक कार्य योजना, और ऐसी अवधि के भीतर पूर्ण होने की प्रस्तावित तारीख-

i. नब्बे दिनों से अनधिक, और इसमें तत्काल की जाने वाली कार्रवाई का विवरण हो; या

ii. या ऐसी विस्तारित अवधि जैसा कि लेखापरीक्षा प्राधिकरण द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोनार्थ अभिव्यक्ति-

(क) "लेखापरीक्षा प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति, निकाय या एजेंसी अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) "सुधारात्मक कार्रवाई योजना" से लेखापरीक्षा की समुक्तियों, कमियों की प्रतिक्रिया में तैयार योजना है और जिसमें लेखापरीक्षा के दायरे के अनुसार पहचाने गए सुधारों के लिए रास्ता निहित होता हो, अभिप्रेत है;

(5) पत्तन, ऐसी जानकारी और अभिलेख तक पहुंच प्रदान करके लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, जैसाकि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित है, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संबंधित अभिलेख को कम से कम सात वर्षों तक सुरक्षित रखेगा।

20. प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्ट करना-(1) प्रत्येक पत्तन, पत्तन सीमा के भीतर किसी भी वास्तविक या संभावित प्रदूषण घटना की जानकारी होने के पश्चात् व्यवहार्य रूप से यथाशीघ्र सरकार को रिपोर्ट करेगा जैसाकि धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए -

(क) मास्टर अविलंब एक प्रारंभिक मौखिक रिपोर्ट और किसी भी स्थिति में प्रदूषण की घटना का पता चलने के पंद्रह मिनट के भीतर रिपोर्ट करेगा।

(ख) पत्तन द्वारा घटना के दो घंटे के भीतर, या यदि रोकथाम के उपाय चल रहे हैं तो व्यवहार्य रूप से यथाशीघ्र, प्ररूप- 2 में एक तटीय प्रदूषण घटना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) पत्तन द्वारा, चौबीस घंटे के भीतर, ऐसी पूछताछ के अध्यक्षीन, जो पत्तन सभी सुसंगत पणधारियों हितधारकों के साथ कर सकता है, एक विस्तृत पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, यदि कोई अन्य सूचना उपलब्ध होती है।

(3) उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन निम्नलिखित को प्रारंभिक मौखिक रिपोर्ट दी जाएगी —

(क) निर्दिष्ट अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी चैनल पर जलयान यातायात सेवा या पत्तन नियंत्रण; या

(ख) आपातकालीन प्रदूषण हॉटलाइन पर निर्दिष्ट पत्तन अधिकारी; या

(ग) तेल, तैलीय मिश्रण, तैलीय अवशेषों के प्रवाह, निकास, रिसाव या फैलाव की दिशा में समुद्री प्रशासन संचार महानिदेशालय (डीजीसीओएम)।

(4) उपनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी —

(क) पत्तन समुदाय प्रणाली (पीसीएस) या समुद्रीय एकल खिडकी के माध्यम से; या

(ख) पत्तन के ऑनलाइन प्रदूषण रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से; या

(ग) निर्दिष्ट प्रदूषण रिपोर्टिंग पते पर ईमेल द्वारा।

(घ) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार तंत्र द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा अनुपलब्ध है, तो सिस्टम बहाली के तीन घंटे के भीतर संरक्षक को एक हस्ताक्षरित वास्तविक प्रति दी जानी चाहिए।

अध्याय- 4

प्रकीर्ण

21. पत्तनों तक जाने वाली अधिसूचित नाव्य नदियां या जलसरणीयां चैनल – (1) पत्तनों तक जाने वाली नाव्य नदी या जलसरणीयों को अधिसूचित करते हुए सरकार -

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा, नौचालन, पर्यावरण संरक्षण और फीस और प्रभारों उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए ऐसे पत्तनों तक जाने वाली नाव्य नदियों या जलसरणीयों पर अधिनियम के लागू किए जाने की स्थानिक सीमा स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित हो;

(ख) पत्तन सीमाओं, ऐसे पत्तन तक जाने वाली जलयरणीयों और आसपास के नाव्य जलमार्गों के बीच निरंतरता सुरक्षित करेगी, और अधिकारियों के बीच अधिकारिता में अस्पष्टता या ओवरलैप से बचेगी।

(2) उपनियम 1 में निर्दिष्ट नाव्य नदियों या जलसरणीयों की अधिसूचना में प्ररूप- 3 में विनिर्दिष्ट विवरण अंतर्विष्ट होगा।

(3) पत्तन अधिसूचना को ऐसे अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसूचित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “ऐसे पत्तन तक जाने वाली नाव्य नदी या जलसरणीयों” से कोई भी नदी, मुहाना, बैकवाटर, क्रीक, नहर, फेयरवे, चैनल या अन्य जलमार्ग अभिप्रेत है जो-

- (i) पत्तन से आने-जाने वाले जलयानों द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाया जाता है, या उपयोग किए जाने का मंशा है; और
- (ii) धारा 11 की उप धारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित पत्तन सीमाओं के बाहर, या आंशिक रूप से बाहर स्थित है;

22. नए पत्तनों की घोषणा और पत्तन सीमाओं में परिवर्तन- (1) अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (2) के अधीन किसी नए पत्तन की घोषणा के प्रयोजन के लिए, सरकार पत्तन द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:-

(क) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पत्तन क्षमता या विशिष्ट सुविधाओं की प्रदर्शित किए जाने की अपेक्षा है;

- (i) अनुमानित कार्गो और यात्री मांग और आंतरिक क्षेत्र संपर्कता;
- (ii) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना और उससे प्राप्त कोई भी क्षेत्रीय या सेक्टरल योजनाएं;
- (iii) लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, टर्नअराउंड समय कम करने और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में सहायता करने की क्षमता; और
- (iv) प्रस्ताव को वित्तीय व्यवहार्यता के प्रारंभिक निर्धारण द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें पूंजी और प्रचालन लागत अनुमान और संभावित वित्त पोषण स्रोत शामिल हैं।

स्पष्टीकरण- उपखंड (ii) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना” से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अभिप्रेत है।

(ख) प्रस्तावित नया पत्तन, विद्यमान पत्तनों के अत्यधिक निकट अनावश्यक दोहराव का परिणाम नहीं होना चाहिए, और जहाँ एक क्षेत्र में कई पत्तन विद्यमान हैं, प्रस्ताव में यह उल्लेख होगा कि नया पत्तन विद्यमान सुविधाओं की व्यवहार्यता को कैसे पूरक करेगा और भौतिक रूप से विकृत नहीं करेगा, सिवाय जहाँ अधिक व्यापक जनहित में उचित हो।

(ग) प्रस्तावित पत्तन का स्थान और वांछित प्रचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और रक्षा विचारों के अनुरूप हैं, प्रस्ताव में सक्षम सुरक्षा और रक्षा अधिकारियों के विचार शामिल हैं।

(2) केंद्रीय सरकार लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके, असाधारण मामलों में उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक सन्नियमों को शिथिल कर सकती है जहाँ कार्यनीतिक, सुरक्षा या अन्य सार्वजनिक हित के विचार इसकी गारंटी देते हैं।

(3) पत्तन सीमाओं के परिवर्तन को अधिसूचित करने से पहले, सरकार सुनिश्चित करेगी:

- (क) सामरिक और आर्थिक औचित्य;
- (ख) सुरक्षा और रक्षा विचार;
- (ग) नाव्य सुरक्षा समाघात;
- (घ) समुद्री ज़ोनिंग;
- (ङ) पर्यावरण संरक्षण; और
- (च) कोई अन्य सन्नियम जैसा कि सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक अधिसूचना-

- (क) नए पत्तन की घोषणा की अधिसूचना प्ररूप- 4 में की जाएगी; और
- (ख) पत्तन सीमाओं में परिवर्तन की अधिसूचना प्ररूप- 5 में की जाएगी।

23. अवरोध को हटाना या परिवर्तित करना - किसी भी अवरोध को हटाने या में परिवर्तन के लिए नियोजन और संचालन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

- (क) नाव्य सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- (ख) पत्तन प्रचालन की रक्षा करना;
- (ग) जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के जोखिम को कम करना;
- (घ) नौचालन और पत्तन सुरक्षा की रक्षा की आवश्यकता के अध्यक्षीन, अवरोध के स्वामी के विद्यमान विधिपूर्ण अधिकारों का सम्मान करना।

(2) जहाँ अवरोध विद्यमान है, संरक्षक ऐसे स्वामी को एक लिखित नोटिस जारी करेगा।

(3) संरक्षक, जहाँ उचित हो और स्थिति की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, अवरोध लगाने वाले और अन्य संबंधित पणधारियों के साथ परामर्श बैठक या तकनीकी चर्चा बुला सकता है; या संबंधित प्राधिकरण या अन्य सक्षम निकाय के विचार मांग सकता है।

(4) संरक्षक, जहाँ तक व्यावहारिक हो, हटाने या परिवर्तन की ऐसी रीति अपनाएगा:

- (क) जिससे अवरोध के वैध स्वामी पर प्रभाव में कमी आती है;
- (ख) जो जलयान यातायात और आवश्यक पत्तन सेवाओं में व्यवधान को कम करता हो;
- (ग) जिसमें अतिरिक्त पर्यावरणीय समाघातों से बचने या कम करने का प्रयास किया गया हो; और
- (घ) जो भविष्य की विकास योजनाओं और पत्तन और जलमार्ग के निर्दिष्ट उपयोगों के अनुरूप हो।

(5) जहाँ बाधा से पर्यावरण, जीवन, नौचालन, पत्तन अवसंरचना के लिए तत्काल कोई जोखिम पैदा होता है, संरक्षक करणों को लेखबद्ध करके तत्काल ऐसे उपाय कर सकता है जो आवश्यक हों।

(6) संरक्षक, ऐसी आपातकालीन कार्रवाई के पश्चात् यथाशीघ्र अवरोध लगाने वाले, जहाँ पहचान योग्य हो, की गई कार्रवाइयों और उनके कारणों के बारे में सूचित करेगा, और उप-नियम (7) के अनुसार प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को अवधारित करने के लिए आगे कार्रवाई करेगा।

(7) उचित प्रतिपूर्ति का अवधारण, हटाने या परिवर्तन के समय बाधा की आयु, डिजाइन जीवन, संरचनात्मक स्थिति और शेष सेवा काल, वित्तीय विवक्षाओं और मामले के ऐसे अन्य सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों जो लिखित में दर्ज किए जाएं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(8) संरक्षक, अवरोध लगाने वाले स्वामी से प्रतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सुसंगत प्रासंगिक दस्तावेज और डाटा यथाशीघ्र और किसी भी मामले में अविलंब प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(9) संरक्षक, प्रतिपूर्ति पर तर्कसंगत सिफारिश तक पहुँचने के लिए स्वतंत्र तकनीकी, वित्तीय या मूल्यांकन विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

24. पत्तन को हुई क्षति, विध्वंस या हानि का व्यय - (1) पत्तन या पत्तन सुविधाओं को हुई क्षति, विध्वंस या हानि के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी संपत्ति या सुविधाओं को ऐसी क्षति, विध्वंस या हानि से ठीक पहले की स्थिति में यथासंभव बहाल करने की पूरी लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि प्राधिकरण को कोई नुकसान न हो।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “व्यय” से युक्तियुक्त लागतें, प्रभार और व्यय अभिप्रेत हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) मरम्मत या प्रतिस्थापन लागत;
- (ii) अस्थायी कार्यों और आपातकालीन उपायों की लागत; और
- (iii) वृत्तिक और सर्वेक्षण फीस।

(2) क्षति की प्रकृति, गंभीरता और तकनीकी जटिलता के आधार पर, संरक्षक ऐसी हानि या क्षति की सीमा की पहचान करने के लिए यथास्थिति प्रारंभिक निरीक्षण या विस्तृत स्थिति सर्वेक्षण या इंजीनियरिंग निर्धारण, करने का निदेश दे सकता है।

25. जलयान आगमन रिपोर्ट – स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर, समुद्रीय एकल खिड़की या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अन्य निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार जलयान के आगमन की रिपोर्ट करेगा जैसाकि अधिनियम की धारा 49 के अधीन अपेक्षित है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “निर्दिष्ट प्रणाली” से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिप्रेत है;

26. शास्ति अधिरोपण के लिए व्यक्ति की नियुक्ति- जहां संरक्षक, व्यक्तियों का निकाय है, बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के निकाय में से साधारण या विशेष संकल्प के माध्यम से एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। जैसाकि अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित है।

27. घटना की रिपोर्ट - निर्दिष्ट घटना रिपोर्टिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी घटना की विशिष्टियां निम्नलिखित से अविलंब अभिप्राप्त किए जाएंगे जैसाकि अधिनियम की धारा 67 के अधीन अपेक्षित है —

- (क) घटना में शामिल किसी भी जलयान का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर; और
- (ख) घटना से प्रत्यक्ष प्रभावित या उसमें शामिल कोई भी टर्मिनल, सुविधा या पत्तन सेवा प्रदाता और ऐसी घटना की लिखित रिपोर्ट तैयार करेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “नामनिर्दिष्ट घटना रिपोर्टिंग अधिकारी” से पत्तन पर तैनात उप संरक्षक या समतुल्य रैंक का अधिकारी अभिप्रेत है;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लिखित रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र किसी भी स्थिति में और घटना के समय से चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से महानिदेशक समुद्रीय प्रशासन संचार केंद्र को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) प्रत्येक पत्तन, इस नियम के अधीन रिपोर्ट की गई सभी घटनाओं के साथ-साथ सभी रिपोर्टों और महानिदेशक समुद्रीय प्रशासन संचार केंद्र से प्राप्त किसी भी पावती को दर्ज करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक घटना रजिस्टर बनाए रखेगा।

28. नाविकों के लिए तट आधारित कल्याण सेवाएं – (1) पत्तन, इस अधिनियम की धारा 68 के अनुपालन में महानिदेशक समुद्रीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा।

(2) नाविकों को सभी तट-आधारित कल्याणकारी सुविधाएं और सेवाएं जेंडर, राष्ट्रीयता, जाति, रंग, लिंग या लागू विधि या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री श्रम मानकों के अधीन मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना उपलब्ध कराई जाएंगी।

(3) पत्तन, महिला नाविकों के लिए पत्तन सुरक्षा अपेक्षाओं, टर्मिनल स्थान और परिचालन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तट-आधारित कल्याणकारी सेवाओं तक उचित पहुंच और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने को सुगम बनाने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे।

(4) पत्तन, जहां टर्मिनल दूर हैं या उन पर उच्च सुरक्षात्मक निर्बंधन हैं, तट आधारित कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था सहित उचित उपायों की व्यवस्था करेगा।

(5) समुद्रीय श्रमिक अभिसमय 2006 के विनियम 4.4 के अनुपालन में तट आधारित कल्याणकारी सेवाओं में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है, चाहे पत्तन का आकार और यातायात कुछ भी हो –

- (क) इंटरनेट कनेक्टिविटी;
- (ख) संचार सुविधाएं जैसाकि सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल (सिम) कार्ड या टॉप-अप सहायता;
- (ग) अनुरोध पर और आवश्यक मंजूरी देने पर आसपास के शहरी केंद्रों तक परिवहन व्यवस्था;
- (घ) मनोरंजक और सांस्कृतिक सहायता;
- (ङ) मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सहायता;
- (च) चिकित्सा सहायता और सुविधा;
- (छ) आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता;
- (ज) स्थानीय विधियां, रीति-रिवाजों और आपातकालीन संपर्कों के बारे में जानकारी;
- (झ) विदेशी मुद्रा रूपांतरण सुविधा; और
- (ञ) कल्याणकारी गैर सरकारी संगठनों और विधिक सहायता के संबंध में जानकारी।

(6) पत्तन बहुभाषी नोटिस, मानचित्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म या अन्य उपयुक्त साधनों के माध्यम से कल्याणकारी जानकारी प्रदान करेंगे।

29. कौंसुलर और उचित व्यवहार सहायता- पत्तन सक्षम प्राधिकारियों के समन्वय से नाविकों को कांसुलर और उचित व्यवहार तंत्र तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे।

30. अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुपालन- प्रत्येक पत्तन, केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार, ऐसे लागू अभिसमय का पालन करेगा जैसा जैसा कि अधिनियम की धारा 72 के अधीन अपेक्षित है।

अनुसूची 1 -नमूना रसीद रूपविधान*[नियम 11(2) देखिए]***महापत्तन प्राधिकरण – फीस या प्रभारों की प्राप्ति**

- रसीद संख्या:
- तारीख और समय:
- संदायकर्ता या अभिकर्ता का नाम:
- जलयान का नाम या सकल टनभार या निर्देश (यदि लागू हो):
- यात्रा कॉल संख्या
- यात्रा का प्रकार
- प्रभार की प्रकृति (खंड या टैरिफ कोड के साथ):
- सेवा का विवरण:
- रकम (₹):
- जीएसटी या कर (₹):
- प्राप्त कुल रकम (₹):
- संदाय का तरीका:
- विशिष्ट संव्यवहार निर्देश या संव्यवहार और बैंक का नाम:
- जारीकर्ता (नाम, पदनाम):
- हस्ताक्षर या डिजिटल अधिप्रमाणीकरण:

अनुसूची 2

[नियम 12(8) देखिए]

पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं के लिए तकनीकी विनिर्देश

1. साधारण विस्मार- केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर किसी भी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में पत्तनों में पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं के लिए तकनीकी और प्रचालन अपेक्षाओं, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, को कार्यान्वित किया जाएगा।

2. तकनीकी और प्रचालन मानक- पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तकनीकी मानक शामिल होंगे, नामतः:-

- (क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुरूप सीवेज शोधन सुविधाएं, जिसमें जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, कुल निलंबित ठोस और कीटाणुशोधन से संबंधित अपेक्षाएं शामिल हैं;
- (ख) एमएआरपीओएल अभिसमय के अनुसार अपशिष्ट धारा का पृथक्करण, जिसमें तैलीय अपशिष्ट, सीवेज, कचरा और खतरनाक या विशेष अपशिष्ट श्रेणियां शामिल हैं;
- (ग) जलयान यातायात और पीक बर्थ अधिभोग में अस्थायी वृद्धि को समायोजित करने के लिए सर्ज हैंडलिंग क्षमता का उपबंध;

3. प्रदर्शन मेट्रिक्स- (1) पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे और इस तरह से प्रचालित किए जाएंगे कि अपशिष्ट वितरण कार्यों के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सके;

(2) पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं को वार्षिक पर्याप्तता लक्ष्यों को पूरा करना होगा, जिसमें अपटाइम बेंचमार्क शामिल हैं, जैसा कि हरितसागर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उप-पैरा (2) के उपबंधों का कार्यान्वयन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी हरितसागर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यधीन होगा।

4. हरित संक्रमण अवसंरचना- पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं, जहां लागू हो, में निम्नलिखित के लिए अवसंरचना शामिल होगी:

- (क) अनुकल्पी ईंधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट और अवशेषों की सुरक्षित हैंडलिंग और प्रबंधन;
- (ख) तट बिजली प्रणालियों से उत्पन्न अपशिष्ट की प्राप्ति और प्रबंधन, जिसमें ट्रांसफार्मर तेल और संबंधित विद्युत अपशिष्ट शामिल हैं;
- (ग) स्पिल रिस्पांस अवशेषों सहित अनुकल्पी ईंधन बंकरिंग प्रचालन से उत्पन्न अपशिष्ट और अवशेषों का प्रबंधन।

अनुसूची 3

[नियम 17(2) देखें]

अपशिष्ट परिदान बाध्यताओं से छूट अनुदत्त प्रदान करने के लिए शर्तें और मापदंड**1. भंडारण क्षमता का प्रदर्शन-मास्टर यह निर्देशित करते हुए जानकारी प्रस्तुत करेगा कि जलयान में जलयान-जनित अपशिष्ट के लिए पर्याप्त समर्पित भंडारण क्षमता है, जिसमें शामिल हैं:**

- (क) अपशिष्ट श्रेणी द्वारा अधिकतम अनुमोदित भंडारण क्षमता;
- (ख) वर्तमान में जलयान पर कचरे की मात्रा;
- (ग) अगले पोर्ट ऑफ कॉल तक अनुमानित अपशिष्ट सृजन; और
- (घ) बरकरार रखी गई सुरक्षा का मार्जिन

2. अगली पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं का विवरण- मास्टर अगले पोर्ट ऑफ कॉल की पहचान करेगा और निम्नलिखित का उपबंध करेगा:

- (क) निम्नलिखित के आधार पर पत्तन पर सुसंगत पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि-
 - (i) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन वैश्विक एकीकृत पोत परिवहन सूचना प्रणाली पर प्रकाशित सूचना; या
 - (ii) अगले पोर्ट ऑफ कॉल के पत्तन प्राधिकरण के आधिकारिक प्रकाशन; और
- (ख) अगले पत्तन पर इच्छित डिलीवरी योजना।

3. यात्रा जोखिम कारक - छूट का निर्धारण करने में, संरक्षक को निम्नलिखित का उचित ध्यान रखना होगा:

- (क) यात्रा की लंबाई और प्रकृति;
- (ख) जलयान और प्रणोदन प्रणाली का प्रकार;
- (ग) साथ ले जाए गए माल की प्रकृति; और
- (घ) उच्च प्रदूषण जोखिम प्रस्तुत करने वाली अपशिष्ट श्रेणियां।

4. संतोष का अभिलेख- नियम 26 के उप नियम (2) के अधीन दी गई कोई भी छूट लिखित रूप में अभिलिखित की जाएगी और इसमें शामिल होंगे:

- (क) सम्मिलित की गई अपशिष्ट श्रेणियां;
- (ख) छूट दी गई मात्रा;
- (ग) विनिर्दिष्ट यात्रा या पोर्ट कॉल तक सीमित विधिमान्यता; तथा
- (घ) ऐसी छूट अनुदत्त करने के कारण।

5. नॉन-डिरेक्शन-इस अनुसूची में कुछ भी एमएआरपीओएल अभिसमय के उल्लंघन में समुद्र में जलयान- जनित अपशिष्ट के किसी भी निस्तारण की अनुमति देने के रूप में नहीं माना जाएगा।**6. छूट-इन नियमों के अधीन प्रचालनात्मक अपशिष्ट और कार्गो अवशेषों को पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं में अनिवार्य परिदान की आवश्यकता उन अंतर्देशीय जलमार्गों पर प्रचालित बाजों पर लागू नहीं होगी, जो केवल भारत के क्षेत्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों पर काम कर रहे हैं और आंतरिक टर्मिनलों के बीच छोटे अंतर-नदीय यात्रा में लगे हैं, जो समुद्री यात्रा नहीं करते और जिनमें समुद्री जहाजों के समान कार्गो अवशेष नहीं उत्पन्न होते, जहां उत्पन्न होने वाला प्रचालनात्मक अपशिष्ट बहुत कम होता है और सुरक्षित जलयान पर भंडारण के लिए सक्षम होता है:**

परंतु कि ऐसे जलयान उपयुक्त जलयान पर होल्लिंग व्यवस्थाएँ बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करें कि सभी ऐसे अपशिष्ट जलयान पर ही रखे जाएँ और लागू विधि के अनुसार प्राधिकृत तटस्थ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से निपटाए जाएँ, और कि किसी भी प्रकार का अंतर्देशीय जल क्षेत्र में अपशिष्ट को निस्तारित करना इन नियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि का उल्लंघन होगा।

प्ररूप - I

[नियम 16(5) देखिए]

अग्रिम अपशिष्ट सूचना

1. जलयान का विवरण

- जलयान का नाम: _____
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सं.: _____
- ध्वज: _____
- जलयान का प्रकार: _____
- जीटी/ सकल टनभार या डेडवेट टनभार: _____

2. पोर्ट ऑफ कॉल विवरण

- अंतिम पोर्ट ऑफ कॉल: _____
- अगला पोर्ट ऑफ कॉल: _____
- आगमन की अनुमानित समय (स्थानीय समय): _____
- प्रस्थान का अनुमानित समय (स्थानीय समय): _____

3. अपशिष्ट ऑनबोर्ड (मारपोल उपाबंध-वार)

- उपाबंध 1 (तेल युक्त अपशिष्ट): _____
- उपाबंध 2 (हानिकारक द्रव्य पदार्थ अवशेष): _____
- उपाबंध 4 (सीवेज): _____
- उपाबंध 5 (कचरा श्रेणियां क-छ): _____
- उपाबंध 6 (स्क्रबर वॉश पानी के अवशेष या ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ): _____

4. पत्तन पर निस्सारण किए जाने वाला अपशिष्ट

(प्रकार और मात्रा विनिर्दिष्ट करें)

5. जलयान पर रखा गया अपशिष्ट

6. अंतिम अपशिष्ट निस्सारण (पत्तन और तारीख)

7. रिसेप्शन सुविधा के लिए अनुरोध

☐ हां ☐ नहीं

अपेक्षित सुविधा का प्रकार: _____

8. मास्टर द्वारा प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है.

- मास्टर का नाम: _____
- हस्ताक्षर: _____
- तारीख: _____

प्ररूप- 2

[नियम 20(2)(ख) देखिए]

तटीय प्रदूषण की घटना की रिपोर्ट**1. जलयान/ सुविधा विवरण**

- जलयान का नाम: _____
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सं.: _____
- ध्वज: _____
- अभिकर्ता: _____

2. प्रदूषण संकट का प्रकार

- तेल या तैलीय मिश्रण या कीचड़
- हानिकारक तरल पदार्थ
- रासायन या परिसंकटमय और हानिकारक पदार्थ एचएनएस
- अपशिष्ट
- कचरा (श्रेणी प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें)
- अन्य हानिकारक पदार्थ: _____

3. निर्मुक्त/ संकट की अनुमानित मात्रा

4. अवस्थिति (निर्देशांक/बर्थ)

5. घटना का समय

6. कारण (यदि ज्ञात हो)

7. की गई कार्रवाईतैनात कंटेनमेंट बूम ☐प्लग किए गए स्कूपर्स ☐

बंद किए गए पंप ☐

सक्रिय आपातकालीन प्रदूषण नियंत्रण ☐

टर्मिनल या पोर्ट को अधिसूचना ☐

8. समाधात निर्धारण (तटीय जलक्षेत्र / मत्स्य पालन / समुद्री जीवन):

9. संलग्नक

– फोटो/वीडियो ☐

– लॉग सार ☐

– ध्वनि रिकॉर्ड ☐

– टैंक डेटा ☐

10. मास्टर द्वारा प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपबंध की गई जानकारी सत्य है।

नाम: _____ हस्ताक्षर: _____

तारीख: _____

प्ररूप 3*[नियम 21(2) देखिए]*

पत्तन की ओर जाने वाले नाव्य नदियों या जलसरणीयों की अधिसूचना के लिए प्ररूप

1. अधिसूचना का शीर्षक

(नदी/जलसरणी के अभिहित खंड को उपदर्शित करने वाला संक्षिप्त वर्णनात्मक शीर्षक)

2. नदी/जलसरणी का विवरण जिसे नाव्य प्रवेश मार्ग घोषित किया गया है

(क) पत्तन की ओर जाने वाली नदी/जलसरणी का नाम:

(ख) भौगोलिक निर्देशांक और कोई अन्य घटक, जैसा भी लागू हो:

- अक्षांश: _____ देशांतर: _____

3. नौवहन सहायता और मार्किंग (जैसा लागू हो):

4. अधिसूचना का प्रयोजन:

5. अनुदेश (यदि कोई हो):

6. प्रारंभ की तारीख:

अधिसूचना _____ को प्रवृत्त होगी

7. अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकारी:

विभाग/ मंत्रालय का नाम: _____

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

मुहर: _____

तारीख: _____

स्थान: _____

टिप्पण (राजपत्र प्रिंटर / पत्तन प्राधिकरण के उपयोग के लिए)

1. भरे हुए प्ररूप को आधिकारिक राजपत्र में शब्दशः प्रकाशित किया जाना चाहिए।
2. इस प्ररूप का एक डिजिटल संस्करण सरकार और संबंधित पत्तन वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

प्ररूप 4*[नियम 22(4)(क) देखिए]***नए पत्तन की अधिसूचना के लिए प्रपत्र****1. अधिसूचना का शीर्षक**

2. नए पत्तन का नाम

3. पत्तन सीमाओं का भू-स्थानिक विवरण**(क) भूमि की ओर सीमा (यदि लागू हो)****विवरण और निर्देशांक:**

(ख) समुद्राभिमुख की सीमा**निर्देशांक:**

- बिंदु 1: अक्षांश ____ देशांतर ____
 - बिंदु 2: अक्षांश ____ देशांतर ____
 - बिंदु 3: अक्षांश ____ देशांतर ____
- (यथा अपेक्षित अतिरिक्त बिंदु जोड़े जा सकते हैं)

(ग) पत्तन की ओर जाने वाले जलसरणी और नाव्य पहुंच:

4. हाइड्रोग्राफिक और नाव्य विशेषताएं:**(यदि अपेक्षित हो चार्ट/मानचित्र संलग्न करें)**

5. प्रयोजन और प्रयोज्यता:

(पत्तन कार्यों: कार्गो हैंडलिंग, यात्री संचालन, अपतटीय टर्मिनल, आदि का वर्णन करें)

6. अधिसूचना की प्रभावी तारीख:

7. जारीकर्ता प्राधिकारी:

नाम: _____

पदनाम: _____

विभाग: _____

हस्ताक्षर: _____

मुहर: _____

तारीख: _____

स्थान: _____

प्ररूप 5*[नियम 22(4)(ख) देखिए]***पत्तन सीमाओं में परिवर्तन के लिए प्ररूप****1. अधिसूचना का शीर्षक:**

2. पत्तन का नाम:

3. परिवर्तन की प्रकृति:

- ☐ सीमाओं का विस्तार
- ☐ सीमा में कमी
- ☐ निर्देशांक का परिवर्तन
- ☐ पत्तन/एंग्रेज की ओर जाने वाले नई जलसरणीयों का समावेशन
- ☐ क्षेत्र का अपवर्जन
- ☐ अन्य (विनिर्दिष्ट करें): _____

4. पत्तन सीमाओं के पुनरीक्षित निर्देशांक:

5. परिवर्तन का औचित्य:

(विस्तार: ड्रेजिंग, नए टर्मिनल; प्रतिबंध: सुरक्षा, पर्यावरण क्षेत्र, आदि)

6. संलग्न मानचित्र/चार्ट:

7. प्रभावी तारीख:

8. जारीकर्ता प्राधिकारी:

नाम: _____

पदनाम: _____

हस्ताक्षर: _____

मुहर: _____

तारीख: _____

स्थान: _____

[फा. सं. पीडी-24015/1/2025-पीडी-1/ई-378148]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2026

G.S.R. 645(E).— Whereas the draft of the Indian Ports Rules, 2026 were published, by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, *vide* notification number G.S.R.58(E), dated the 23rd January, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 23rd January, 2026;

AND whereas, objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2), of section 76, and sub-section (1) read with clause (a), (b), and (e) to (o) of sub-section (2), of section 78 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. Short Title and Commencement. – (1) These rules may be called the Indian Ports Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – The provisions of—

(a) these rules shall apply to—

(i) all major ports; and

(ii) part or parts of the notified navigable rivers or channels leading to the ports as notified by the Government under sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (3) of section 1 of the Act;

(b) rules 12 to 23, rule 25, rules 26 to 29 and rule 30 shall apply to ports other than major ports;

3. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025);

(b) “advance waste notice” means the pre-arrival declaration containing information on waste held on board and waste intended to be discharged at the port, submitted under section 39 of the Act, in accordance with these rules;

(c) “agent” means the agent as defined in clause (3) of section 3 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(d) “Form” means a Form appended to these rules;

(e) “health officer” means the officer appointed under section 24 of the Act;

(f) “incident” means any incident referred to in section 67 of the Act;

(g) “maritime single window” means a digital platform which enables, *inter alia*, submission of standardised information and documents for fulfilment of port and ship reporting formalities in accordance with the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965;

(h) “owner of obstruction” means the person who holds the relevant permit, grant, licence or other lawful instrument issued by the Government under which the obstruction is established or maintained, and includes any concessionaire, lessee, or operator who is responsible, under contract or law, for the maintenance and safety of such obstruction;

(i) “pollution incident” means any occurrence, event, or condition arising out of a vessel, port facility or operations within port limits that results in or is likely to result in—

(i) discharge, escape, leakage or spillage of oil, oily mixture, oily residue;

- (ii) discharge or threat of discharge of noxious liquid substances;
 - (iii) discharge or threat of discharge of harmful substances under MARPOL Convention;
 - (iv) release of sewage, garbage, plastics, chemicals or waste harmful to the marine environment;
 - (v) any condition posing a risk to—
 - (A) the health of the coastal population and users of coastal waters;
 - (B) fisheries and other living marine resources;
 - (C) coastal and port installations, facilities and services;
 - (D) tourist attractions, amenities and other economic interests of the coastal area; or
 - (E) the conservation of marine and coastal ecosystems;
 - (vi) threat to life or property or the environment;
 - (j) “plan” means the port waste reception and handling plan prepared and implemented under section 38 of the Act;
 - (k) “receipt” means a formal acknowledgement issued as proof of payment of fees or other charges in accordance with section 48 of the Act;
 - (l) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
 - (m) “shore-based welfare services” means the facilities and services contemplated under Regulation 4.4 of the Maritime Labour Convention, 2006 and specified in the guidelines issued by the Directorate General of Maritime Administration as updated from time to time;
 - (n) “waste delivery receipt” means receipt issued by a port acknowledging receipt of waste from a vessel by a reception facility in accordance with sub-section (2) of section 40 of the Act.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

ADMINISTRATION

4. Appointment of officers and employees to Maritime State Development Council. – (1) The Central Government, as and when considered necessary, may make available or depute such officers and employees to the Maritime State Development Council for the efficient discharge of functions of the Council.

(2) The pay, allowances, and other conditions of service of the officers and employees of the Council appointed through deputation under sub-rule (1), shall be regulated in accordance with the applicable rules and the allowances admissible to the corresponding grades, as revised or amended from time to time.

5. Other port officers. – Every port may, in addition to a conservator and harbour master, appoint such other port officers under sub-section (2) of section 18 of the Act, to discharge duties relating to marine operations, prevention and containment of pollution, safety and any other functions under the Act:

Provided that one or more officers may be assigned to discharge all or any such functions or parts thereof.

6. Pay and allowances of other port officers. – The pay and allowances of the officers appointed under rule 5 shall be as determined by the Central Government.

7. Conditions of service of other port officers. – The conditions of service of other port officers appointed under rule 5 such as leave, tenure, probation, resignation, retirement and superannuation, working hours, promotion, seniority, conduct and disciplinary proceedings shall be as per service regulations of the port unless otherwise directed in this behalf by the Central Government.

8. Power of relaxation in certain cases.— The Central Government may relax any of the provisions of rules 5, 6 or 7 for a class or category of officers appointed under rule 5 relating to classification, appointment and their eligibility, for reasons to be recorded in writing.

9. Delegation of powers of conservator.— (1) The conservator, with the approval of the Government, may delegate to any other port officers all or any of its powers as required under sub-section (6) of section 18 of the Act.

(2) Any delegation made by the conservator under sub-rule (1) shall –

- (a) be in writing;
- (b) specify the nature and extent of delegation in each case;
- (c) where the conservator is a body of persons, be passed by a general or special resolution of such body.

(3) The conservator, with the approval of the Government, shall have the right to revoke, vary, or suspend the delegation of power, at any time, without assigning any reason, if deemed necessary in the interest of port safety, security or for any other reason, to be recorded in writing.

10. Health officer.— (1) There shall be a health officer for every major port appointed under sub-section (1) of section 24 of the Act.

(2) The health officer shall discharge all health-related functions at the port as are assigned under the Act or by the directions of the Central Government, including compliance with the International Health Regulations, 2005.

11. Issuance of receipt.— Every officer or body of persons authorised to receive fees or other charges under section 48 of the Act shall issue a receipt acknowledging such payment.

(2) All receipts issued under sub-rule (1) shall contain the particulars specified in Schedule I.

(3) A duplicate receipt shall be issued upon written request of the payer, supported by identification and payment proof.

(4) All receipts shall be maintained for a minimum period of seven years from the date of issuance.

(5) The Authority may specify formats, digital templates, or standard operating procedures for issuance of such receipts.

CHAPTER III

POLLUTION

12. Provision of port reception facilities.— (1) Every port shall establish, operate and maintain port reception facilities as required under section 36 of the Act which are adequate to meet the needs of vessels using the port, without causing undue delay, having regard to—

- (a) the size, type and traffic profile of vessels calling at the port;
- (b) the nature, frequency and quantity of vessel-generated waste ordinarily delivered; and
- (c) operational characteristics of the port, including berth configuration, terminal layout and cargo handled.

(2) The port reception facilities shall be capable of receiving, segregating and handling, as applicable, vessel-generated waste and residues in accordance with the following Annexes to the MARPOL Convention, namely:—

- (a) Annex I relating to oil, oily mixtures, sludge, bilge water, tank washings and exhaust gas cleaning system residues;
- (b) Annex II relating to residues and mixtures containing noxious liquid substances;
- (c) Annex IV relating to sewage, including treated and untreated black water and grey water;
- (d) Annex V relating to garbage, segregated by category, including plastics, food waste, operational waste, cargo residues and e-waste; and

- (e) Annex VI relating to ozone-depleting substances, exhaust gas cleaning system residues and other air pollution control residues.

(3) Where applicable, port reception facilities shall also be adequate to receive ballast water and sediments in accordance with article 5 of the Ballast Water Management Convention, having regard to port side obligations and the availability of approved ballast water management systems on board vessels.

(4) For the purposes of sub-rules (2) and (3), adequacy of port reception facilities shall be assessed having regard to the following technical and operational parameters, namely:—

- (a) capacity, including sufficient storage, treatment or transfer capability to handle waste volumes ordinarily generated between successive ports of call;
- (b) availability, including operating hours, response time and ability to receive waste upon reasonable notice;
- (c) accessibility, including safe and practicable access at berths, anchorages or terminals without interfering with vessel operations;
- (d) segregation and compatibility, ensuring that different categories of waste are handled separately and in a manner compatible with downstream treatment or disposal systems;
- (e) environmental and safety controls, including spill prevention, containment, occupational safety and emergency response arrangements; and
- (f) interface with vessels, including compatibility with standard shipboard discharge arrangements, hoses, couplings and connection points.

(5) The port reception facilities shall be planned and operated on the basis of a demand-responsive approach, having regard to the information through advance waste notices, historical data on waste deliveries, any complaints or reports of alleged inadequacy of facilities and any changes in vessel technology, fuel types, emission control systems or waste streams.

(6) Without prejudice to sub-rules (2) to (5), port reception facilities shall, as far as practicable, be capable of receiving—

- (a) wastes arising from the use of alternative fuels, shore power systems and emission-abatement technologies; and
- (b) any additional categories of vessel-generated waste as may be specified by the Central Government, having regard to technological developments and international standards.

(7) Nothing in this rule shall be construed as requiring a port to provide identical facilities for waste at every berth, provided that adequate and effective arrangements exist to ensure reception of vessel-generated waste without undue delay and without risk of unlawful discharge into the sea.

(8) The design, construction and operation of port reception facilities shall conform to the technical and operational standards specified in Schedule II.

(9) The waste received at the port reception facility shall obtain necessary authorisation or approval as per domestic waste management rules framed under the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) and the storage, handling, transportation, disposal etc. of the waste received at such facilities shall be dealt with in accordance with the said rules.

(10) The sanitary waste generated at the port or received from vessels shall be disposed of and treated in accordance with the applicable domestic solid waste management rules, 2026.

13. Form and manner of port waste reception and handling plan. – (1) The port waste reception and handling plan prepared under sub-section (1) of section 38 of the Act shall, at minimum, contain the following, namely:—

- (a) an assessment of the need for waste reception facilities, in the light of the need of the ships normally visiting the harbour or terminal;
- (b) a description of the types and capacity of waste reception facilities;
- (c) a detailed description of the procedures for the reception and collection of prescribed wastes;
- (d) a description of the charging system, if any;

- (e) procedures for ongoing consultations with persons using the harbour or terminal, waste contractors and other interested parties;
- (f) the type and quantities of specific wastes received and handled.

(2) The plan may also include—

- (a) a summary of relevant legislation and formalities for delivery;
- (b) identification of a person or persons to be responsible for the implementation of the plan;
- (c) a description of the pre-treatment equipment and processes in the harbour or terminal, if any;
- (d) a description of methods of recording amounts of specified wastes received;
- (e) a description of how the specific wastes are disposed of.

(3) The plan may also include the following information to be made available to all harbour or terminal users, namely:—

- (a) a brief reference to the fundamental importance of proper delivery of specific wastes;
- (b) the location of waste reception facilities applicable to each berth, with a diagram or map;
- (c) list of specific wastes normally dealt with;
- (d) list of contact points, the operators and the services offered;
- (e) description of procedures for delivery;
- (f) description of charging system, if any;
- (g) procedures for reporting alleged inadequacies of waste reception facilities; and
- (h) information and records with respect to waste collected to be recorded as per domestic waste management rules in addition to the waste categories mentioned under MARPOL.

(4) The port shall prepare the plan in consultation with stakeholders, including agents, and, upon approval by the Board, shall publish and maintain the plan in electronic form, aligned with the relevant formats adopted by the International Maritime Organization.

14. Review and availability of the plan. – (1) The plan may be reviewed every two years by the Authority.

(2) The plan shall be made available to port users preferably electronically or in such manner as the Authority may determine.

15. Information to be communicated to vessels in relation to plan. – (1) Every port shall ensure that the following minimum information of the plan is communicated to vessels normally using that port, namely:—

- (a) particulars of the port and plan in accordance with rule 12;
- (b) contacts and emergency information including—
 - (i) list of relevant contact points;
 - (ii) contact details of environmental or health officers responsible for waste-related incidents.
- (c) complaint and feedback mechanism including—
 - (i) procedure for vessels to lodge any complaints on alleged inadequacy or unavailability of reception facilities, with reference, where applicable, to the International Maritime Organization reporting format and the designated contact point;
 - (ii) indication of how complaints will be acknowledged and addressed.
- (d) environmental and safety requirements such as—
 - (i) any port-specific environmental or occupational safety requirements applicable during delivery of waste, including personal protective equipment, traffic control and spillage prevention measures;
 - (ii) description of any local prohibitions or sensitive areas relevant to waste transfer operations.

(2) The information referred to in sub-rule (1) shall be communicated preferably electronically or in such manner as the Authority may determine.

(3) The information under this rule shall be kept updated as far as practicable by the Authority to reflect material changes in the plan.

(4) Every port shall maintain, for a period of not less than five years—

- (a) copies showing the information communicated at different points in time;
- (b) records of any complaints received in relation to the adequacy, accessibility or clarity of information on port reception facilities, and actions taken thereon.

16. Advance waste notice. – (1) Every vessel intending to call at a port shall submit an advance waste notice under section 39 of the Act to the port of call.

(2) The advance waste notice shall be submitted irrespective of whether the vessel—

- (a) intends to discharge waste;
- (b) has no waste to discharge; or
- (c) wishes to retain all waste on board.

(3) An advance waste notice shall be submitted—

- (a) at least twenty-four hours before the arrival of vessel; or
- (b) if the voyage is less than twenty-four hours, at the time of departure from the previous port; or
- (c) if the port of call becomes known less than twenty-four hours in advance, as soon as the information becomes available.

(4) Any material change in the information submitted may be updated as soon as practicable.

(5) The advance waste notice shall be provided in alignment with Form-I, as specified under these rules.

(6) The advance waste notice shall be submitted, preferably by electronic means, as may be specified by the Authority.

(7) The port shall maintain records of advance waste notices for administrative and audit purposes, in such manner as it may determine.

(8) Advance waste notices shall be made available to any stakeholder as determined by the Authority.

17. Waste delivery obligations. – (1) Unless exempted under sub-rule (2), the master of a vessel calling at a port shall ensure that all vessel-generated waste which cannot be lawfully discharged into the sea in accordance with the provisions of the MARPOL Convention is delivered to an appropriate port reception facility before the vessel departs from the port as required under section sub-section (1) of section 40.

(2) A port may exempt a vessel, in whole or in part, from the obligation referred to in sub-rule (1), where the master demonstrates to the satisfaction of the conservator or such authorised person appointed by it, that the conditions and parameters specified in Schedule III are met.

(3) The conservator or such authorised person appointed by it shall record in writing the satisfaction referred to in sub-rule (2) that—

(a) the vessel has sufficient dedicated and segregated storage capacity for all vessel-generated waste remaining on board and expected to be generated until the next port of call, so as to continue the voyage without any discharge into the sea in contravention of the MARPOL Convention; and

(b) adequate and suitable port reception facilities for the relevant categories of vessel-generated waste are available at the next port of call, taking into account information published through the International Maritime Organization Global Integrated Shipping Information System or such other reliable and publicly accessible sources as may be recognised by the Central Government.

(4) Any exemption granted under sub-rule (2) shall be recorded in writing and retained by the port in such manner as it may determine for audit purposes.

(5) In situations of temporary overloading, malfunction, or unavailability of port reception facilities, the conservator shall, as far as practicable—

- (a) prioritise vessels which, having regard to their type, cargo, fuel, or waste characteristics, present a higher risk of marine pollution;
- (b) coordinate with nearby ports and competent authorities, as appropriate authorised waste reception operators, and other competent authorities to make alternative reception arrangements; and
- (c) ensure that any delay or alternative arrangement does not result in the unlawful discharge of vessel-generated waste into the sea.

18. Waste delivery receipt— (1) Every port reception facility shall issue a waste delivery receipt upon receiving waste from a vessel as required under sub-section (2) of section 40 of the Act.

(2) A copy of the waste delivery receipt shall be provided to—

- (a) the master,
- (b) the agent of the vessel, and
- (c) the port or Authority.

(3) The waste delivery receipt shall be issued in the form to be specified by the port in this behalf, which shall include—

- (a) vessel particulars, including name and International Maritime Organization number;
- (b) waste categories delivered in accordance with the following Annexes to the MARPOL Convention, namely:—
 - (i) Annex I relating to Oily waste or sludge or bilge;
 - (ii) Annex II relating to Noxious liquid residues;
 - (iii) Annex IV relating to Sewage
 - (iv) Annex V relating to Garbage categories A–G
 - (v) Annex VI relating to Exhaust gas cleaning residues
- (c) quantity of waste delivered, including the unit of measurement;
- (d) details of the port reception facility receiving the waste;
- (e) date and time of delivery;
- (f) status of receipt of waste, including acceptance or rejection, in whole or in part;
- (g) confirmation of receipt and onward handling or transfer of waste, as applicable; and
- (h) authentication by the port reception facility and the master or authorised officer of the vessel.

(4) The waste delivery receipt may be issued preferably electronically or in physical form.

(5) The waste delivery receipt shall be issued within one hour of completion of waste discharge from vessels and in the event that the receipt is not issued within one hour, the delay and the reasons thereof shall be recorded in writing.

(6) All quantities in a waste delivery receipt shall be expressed in metric units, and decimal notation shall be used consistently.

(7) The waste delivery receipt shall be in English and a translation in any additional language may be provided for convenience and in case of inconsistency, the English text shall prevail.

(8) Where waste is delivered in more than one batch, separate waste delivery receipts may be issued.

(9) The reception facility shall maintain digital or physical records of all waste delivery receipts and may share with any stakeholders as it may be required.

(10) The port or reception facility provider shall ensure that all data fields required to be uploaded in respect of the waste delivery receipt are completed accurately and in a timely manner in accordance with section 43 of the Act.

19. Audit. – (1) The audit under sub-section (1) of section 42 of the Act shall be carried out for the purposes of checking the availability and adequacy of reception facilities and audit of such pollution containment equipment as may be specified by the Central Government which shall include but not be limited to—

- (a) adequacy and operational status of port reception facilities as per Annexes I, II, IV, V and VI of the MARPOL Convention;
- (b) implementation and effectiveness of the plan;
- (c) compliance with national environmental norms for disposal of waste received from vessels, including verification of compliance with domestic waste management rules under the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) and other applicable domestic environmental regulations, in addition to relevant International Conventions;
- (d) compliance and operational readiness, to the extent applicable to port-side facilities and obligations in accordance with Ballast Water Management Convention.

(2) Every port shall undergo an audit at least once in every two years, in accordance with the standards as may be specified by the Central Government from time to time and in accordance with the guidelines issued by Director General of Maritime Administration.

(3) Such biennial audit shall be conducted by a duly authorised auditor of the Director General of Maritime Administration.

(4) The audit report shall be submitted by the auditing authority to the Central Government which shall include the following details, namely:—

- (a) brief summary of the port's overall compliance level;
- (b) responsible parties, time-bound corrective action plan and proposed completion dates,

within such period—

- (i) not exceeding ninety days with details of immediate action that needs to be undertaken; or
- (ii) such extended period as may be permitted by the auditing authority for reasons to be recorded in writing.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expressions—

- (a) “auditing authority” means the authority or any person, body, or agency authorised by the authority or the Central Government to conduct an audit under these rules;
- (b) “corrective action plan” means the plan produced in response to the audit observations, deficiencies, and which contains pathways for rectifications identified in accordance with the scope of the audit.

(5) The port shall facilitate the audit process by providing access to such information and records as is required to be maintained under the Act and the rules made thereunder, and shall retain the audit report and related records for at least seven years.

20. Reporting of pollution incidents— (1) Every port shall report to the Government of any actual or threatened pollution incident within port limits as required under sub-section (1) of section 44, as soon as practicable after becoming aware of such incident.

(2) For the purposes of sub-rule (1)—

- (a) the master shall make an initial verbal report without delay, and in any case within fifteen minutes of detection of pollution incident;

- (b) a Coastal Pollution Incident Report in Form-II shall be submitted by the port within two hours of the incident, or as soon as practicable if containment measures are ongoing;
 - (c) a detailed supplementary report shall be submitted by the port within twenty-four hours if any further information becomes available subject to any such inquiries that the port may conduct with all relevant stakeholders.
- (3) The initial verbal report under clause (a) of sub-rule (2) shall be made to—
- (a) Vessel Traffic Service or Port Control on the designated Very High Frequency channel; or
 - (b) the designated port officer on the emergency pollution hotline; or
 - (c) Directorate General of Maritime Administration Communication Centre in case of discharge, escape, leakage or spillage of oil, oily mixture, oily residue.
- (4) The report referred to in clause (b) of sub-rule (2) shall be submitted—
- (a) through the Port Community System or Maritime Single Window; or
 - (b) via the port's online pollution reporting portal;
 - (c) by email to the designated pollution reporting address; or
 - (d) by such electronic or other communication mechanisms as may be specified by the Central Government.
- (5) If electronic submission is unavailable, a signed physical copy shall be submitted to the conservator within three hours of system restoration.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

21. Notified navigable rivers or channels leading to ports.— (1) While notifying a navigable river or channel leading to ports under sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (3) of section 1 of the Act, the Government shall—

- (a) ensure that the spatial extent of the application of the Act to navigable rivers or channels leading to such port is clearly and precisely defined for purposes of safety, navigation, environmental protection and levy of fees and charges;
- (b) secure consistency between port limits, channels leading to such port and adjoining navigable waterways, and to avoid ambiguity or overlap in jurisdiction among authorities.

(2) The notification of navigable rivers or channels referred to in sub-rule (1) shall contain the details specified in Form-III.

(3) The port may communicate the notification electronically to such authorities, as it may deem fit.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “navigable river or channels leading to such port” means any river, estuary, backwater, creek, canal, fairway, channels, or other waterway which—

- (i) is, or is intended to be, regularly used by vessels navigating to or from a port; and
- (ii) lies outside, or partly outside, the port limits as notified under sub-section (1) of section 11 of the Act.

22. Declaration of new port and alteration of port limits.— (1) For the purposes of declaring any new port under sub-section (2) of section 11 of the Act, the Government shall ensure compliance of the following norms by the ports, namely:—

- (a) there is demonstrable requirement for additional port capacity or specialised facilities in the region, having regard to—

- (i) projected cargo and passenger demand and hinterland connectivity;
- (ii) the national perspective plan and any regional or sectoral plans derived therefrom;
- (iii) the potential to improve logistics efficiency, reduce turnaround time and support national development priorities; and
- (iv) proposal being supported by a preliminary assessment of financial viability, including capital and operating cost estimates and possible funding sources.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (ii), the expression “national perspective plan” means the plan formulated by the Central Government under sub-section (1) of section 12 of the Act;

(b) the proposed new port does not result in unnecessary duplication of capacity in close proximity to existing ports, and, where multiple ports exist in a region, the proposal indicates how the new port will complement and not materially impair the viability of existing facilities except, where justified in the wider public interest;

(c) the location and intended operations of the proposed port are consistent with national security, coastal security, and defence considerations, and the proposal incorporates the views of the competent security and defence authorities.

(2) The Central Government may for reasons to be recorded in writing, relax one or more of the norms specified in sub-rule (1) in exceptional cases where strategic, security or other public interest considerations so warrant.

(3) Prior to notifying alteration of port limits under section sub-section (2) of section 11 of the Act, the Government shall ensure –

- (a) strategic and economic justification;
- (b) security and defence considerations;
- (c) navigational safety impact;
- (d) maritime zoning;
- (e) environmental protection; and
- (f) any other norm as the Government may specify.

(4) Every notification—

- (a) declaring a new port shall be in Form-IV; and
- (b) altering port limits shall be in Form-V.

23. Removal or alteration of obstruction. – The removal or alteration of any obstruction shall be planned and conducted to—

- (a) ensure navigational safety;
- (b) protect port operations;
- (c) minimise risk to life, property, and the environment;
- (d) respect existing lawful rights of the owner of the obstruction, subject to the necessity of safeguarding navigation and port safety.

(2) Where the obstruction exists, the conservator shall issue a written notice to such owner.

(3) The conservator may, where appropriate and having regard to the urgency of the situation convene a consultation meeting or technical discussion with the owner of the obstruction and other concerned stakeholders; or seek the views of the relevant authority or other competent body.

- (4) The conservator shall, as far as practicable, adopt a manner of removal or alteration which
- (a) minimises the impact to the lawful owner of the obstruction;
 - (b) minimises disruption to vessel traffic and essential port services;
 - (c) seeks to avoid or reduce secondary environmental impacts; and
 - (d) is compatible with future development plans and designated uses of the port and waterway.
- (5) Where an obstruction poses an immediate risk to the environment, life, navigation, port infrastructure, the conservator may, for reasons to be recorded in writing, take such urgent steps as are necessary.
- (6) The conservator shall, as soon as practicable after such emergency action, inform the owner of the obstruction, where identifiable, of the actions taken and reasons therefore, and proceed to determine compensation, if any, in accordance with the sub-rule (7).
- (7) The determination of reasonable compensation shall be made having due regard to factors such as age, design life, structural condition and remaining service life of the obstruction at the time of removal or alteration, financial implications and such other relevant facts and circumstances of the case which shall be recorded in writing.
- (8) The conservator may require the owner of the obstruction to submit relevant documents and data necessary for assessing compensation as early as possible and, in any case, without delay.
- (9) The conservator may seek the assistance of independent technical, financial or valuation experts to arrive at a reasoned recommendation on compensation.

24. Expenses for loss, destruction or damage suffered by port (1) Any person responsible for loss, destruction or damage caused to port or port facilities under sub-section (2) of section 26 shall be liable to bear the expenses covering full cost of restoring such property or facilities, as far as practicable, back to the condition existing immediately prior to such loss, destruction or damage, so that the Authority does not incur any loss.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression “expenses” means the reasonable costs, charges, and expenditures including —

- (i) repair or replacement costs;
 - (ii) cost of temporary works and emergency measures; and
 - (iii) professional and survey fees.
- (2) Depending on the nature, severity and technical complexity of the loss, destruction or damage, the conservator may direct a preliminary inspection to be conducted to identify the extent of such loss, destruction or damage or detailed condition survey or engineering assessment to be undertaken, as the case may be.
- 25. Vessel arrival report.** - The owner, agent or master shall report arrival of the vessel as required under section 49 of the Act which shall be in accordance with the Maritime Single Window or any other system designated by the Central Government.

Explanation.— For the purpose of this rule, the expression “designated system” means any other electronic system, designated by the Central Government.

26. Appointment of person for imposition of penalty. — Where the conservator is the body of persons, the Board shall appoint a person from amongst such body of persons by way of a general or special resolution as required under sub-section (2) of section 54 of the Act.

27. Report of incident. — (1) The designated incident reporting officer shall ensure that particulars of any incident as required under section 67 of the Act are obtained without delay from—

- (a) owner, agent, or master of any vessel involved in the incident; and
 - (b) any terminal, facility or port service provider directly affected by, or involved in, the incident,
- and shall prepare a report of such incident in writing.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, the expression “designated incident reporting officer” means the deputy conservator or an officer of equivalent rank, at the port;

(2) The written report referred to in sub-rule (1) shall be submitted electronically to Directorate General of Maritime Administration Communication Centre as soon as reasonably practicable and in any event, not later than twenty-four hours from the occurrence of the incident.

(3) Every port shall maintain an electronic incident register recording all incidents reported under this rule, as well as all reports and any acknowledgements received thereof from Directorate General of Maritime Administration Communication Centre.

28. Shore based welfare services for seafarers. – (1) Ports shall follow the guidelines issued by the Director General of Maritime Administration in compliance with section 68 of the Act.

(2) All shore-based welfare services shall be made available to seafarers without discrimination on the basis of gender, nationality, race, colour, sex or any other grounds recognised under applicable law or international maritime labour standards.

(3) Ports shall make appropriate arrangements to facilitate reasonable access to shore-based welfare services having regard to security requirements, terminal location and operational constraints and ensure access to menstrual hygiene facilities for women seafarers.

(4) Where terminals are remote or subject to high security restrictions, the port shall provide adequate measures including transport arrangements to ensure access to shore based welfare services.

(5) Irrespective of port size and traffic, the shore based welfare services, in compliance with regulation 4.4. of Maritime Labour Convention, 2006, may include—

- (a) internet connectivity;
- (b) communication facilities such as Subscriber Identity Module (SIM) cards or top-up assistance;
- (c) transport arrangements to nearby urban centres on request and on grant of necessary clearance;
- (d) recreational and cultural support;
- (e) mental health counselling support;
- (f) medical assistance and facilitation;
- (g) emergency health services and support;
- (h) information on local laws, customs and emergency contacts;
- (i) foreign exchange conversion facility; and
- (j) information in relation to welfare Non-Governmental Organizations and legal support.

(6) Ports shall provide information relating to the shore based welfare services through multilingual notices, maps, digital platforms or other appropriate means.

29. Consular and fair treatment support.— Ports shall facilitate access to consular and fair treatment mechanisms in coordination with competent authorities to the seafarers.

30. Compliance with international conventions. – Every port shall comply with such applicable conventions as required under section 72 of the Act in accordance with the directions of the Central Government.

Schedule I- Model Receipt Format*[See rule 11(2)]***MAJOR PORT – RECEIPT OF FEES OR CHARGES**

- Receipt No.:
- Date and Time:
- Name of Payer or Agent:
- Vessel Name or Type or Gross tonnage or Reference (if applicable):
- Voyage Call Number:
- Voyage Type:
- Nature of Charge (with clause or tariff code):
- Description of Service:
- Amount (₹):
- GST or Taxes (₹):
- Total Amount Received (₹):
- Mode of Payment:
- Unique Transaction Reference or Transaction ID and name of the bank:
- Issued By (Name, Designation):
- Signature or Digital Authentication:

SCHEDULE II*[See rule 12(8)]***Technical specifications for Port Reception Facilities**

1. General Scope.— The technical and operational requirements for port reception facilities in ports to which these rules apply, shall be implemented in compliance with the guidelines on renewable energy integration issued by the Central Government.

2. Technical and Operational Standards.— Port reception facilities shall include, *inter alia*, the following technical standards, namely:—

- (a) sewage treatment facilities conforming to standards notified by the Central Pollution Control Board, including requirements relating to biochemical oxygen demand, total suspended solids and disinfection;
- (b) segregation of waste stream in accordance with the MARPOL Convention, including oily waste, sewage, garbage and hazardous or special waste categories;
- (c) provision for surge handling capacity to accommodate temporary increases in vessel traffic and peak berth occupancy.

3. Performance Metrics.— (1) Port reception facilities shall be available on a round-the-clock basis and operated in a manner that minimises delays attributable to waste delivery operations.

(2) Port reception facilities shall meet annual adequacy targets, including uptime benchmarks, as may be specified under the Harit Sagar guidelines.

(3) The implementation of the provisions of sub-paragraph (2) shall be subject to the Harit Sagar Guidelines, as issued by the Central Government from time to time.

4. Green Transition Infrastructure.— Port reception facilities shall, where applicable, include infrastructure for—

- (a) the safe handling and management of waste and residues arising from the use of alternative fuels;
- (b) the reception and management of waste arising from shore power systems, including transformer oils and related electrical waste;
- (c) the management of waste and residues arising from alternative fuel bunkering operations, including spill response residues.

Schedule III*[See rule 17(2)]***Conditions and Parameters for Grant of Exemption from Waste Delivery Obligations**

1. Demonstration of Storage Capacity.— The master shall furnish information demonstrating that the vessel has sufficient dedicated storage capacity for vessel-generated waste, including—

- (a) maximum approved storage capacity by waste category;
- (b) quantity of waste currently on board;
- (c) estimated waste generation until the next port of call; and
- (d) margin of safety retained.

2. Details of Next Port Reception Facilities.— The master shall identify the next port of call and provide—

- (a) confirmation of availability of relevant port reception facilities at such port, based on—
 - (i) information published on the International Maritime Organisation Global Integrated Shipping Information System; or
 - (ii) official publications of the port authority of the next port of call; and
- (b) the intended delivery plan at the next port.

3. Voyage Risk Factors.— In assessing exemption, the conservator shall have due regard to—

- (a) length and nature of the voyage;
- (a) type of vessel and propulsion system;
- (c) nature of cargo carried; and
- (d) waste categories presenting higher pollution risk.

4. Recording of satisfaction.— Any exemption granted under sub-rule (2) of rule 17 shall be recorded in writing and shall include—

- (a) waste categories covered;
- (b) quantities exempted;
- (c) validity limited to the specified voyage or port call; and
- (d) reasons for grant of such exemption.

5. Non-derogation.— Nothing in this Schedule shall be construed as permitting any discharge of vessel-generated waste into the sea in contravention of the MARPOL Convention.

6. Exemption.— The requirement for mandatory delivery of operational waste and cargo residues to port reception facilities under these rules shall not apply to inland waterway barges operating exclusively on inland waterways within the territory of India and engaged in short intra-river voyages between inland terminals, which do not undertake sea voyages and do not generate cargo residues comparable to ocean-going vessels, where the operational waste generated is negligible and capable of safe onboard storage:

Provided that such vessels shall maintain suitable onboard holding arrangements and ensure that all such waste is retained onboard and disposed of through authorised onshore waste management systems in accordance with applicable law, and no discharge into inland waters occurs in contravention of these rules or any other law for the time being in force.

Form – I
[See rule 16(5)]
ADVANCE WASTE NOTICE

1. Vessel Details

- Name of Vessel: _____
- International Maritime Organisation Number: ____
- Flag: ____
- Type of Vessel: _____
- Gross Tonnage or Deadweight Tonnage: _____

2. Port Call Details

- Last Port of Call: _____
- Next Port of Call: _____
- Estimated Time of Arrival (Local Time): _____
- Estimated Time of Departure (Local Time): ____

3. Waste Onboard (MARPOL Annex-wise)

- Annex I (Oily Waste): _
- Annex II [Noxious Liquid Substances Residues]: _____
- Annex IV (Sewage): ____
- Annex V (Garbage Categories A–G): ____
- Annex VI (Scrubber wash water residue or ozone-depleting substances): _

4. Waste to be Discharged at Port
(Specify type and quantity)

5. Waste Retained Onboard

6. Last Waste Discharge (Port and Date)

7. Request for Reception Facility

☐ Yes ☐ No

Type of Facility Required: _____

8. Certification by Master

I hereby certify that the information provided above is true and complete.

- Name of Master: _____
- Signature: _____
- Date: ____

Form-II
[See rule 20(2)(b)]
COASTAL POLLUTION INCIDENT REPORT

1. Vessel / Facility Details

- Vessel Name:
- International Maritime Organisation Number:
- Flag:
- Agent: _

2. Type of Pollution Threat

- Oil or Oily mixture or Sludge
- Noxious liquid substance
- Chemical or Hazardous and Noxious Substances
- Sewage
- Garbage (specify category)
- Other harmful substance:

3. Estimated Quantity Released / Threatened

4. Location (Coordinates/Berth)

5. Time of Incident

6. Cause (if known)

7. Actions Taken

- Containment booms deployed ☐
- Scuppers plugged ☐
- Pumping stopped ☐
- Emergency pollution control activated ☐
- Notification to terminal or port ☐

8. Impact Assessment (coastal waters / fisheries / marine life)

9. Attachments

- Photos/videos ☐
- Log extracts ☐
- Sounding records ☐
- Tank data ☐

10. Certification by Master

I certify that the information provided is true.

Name: _____ Signature: _____

Date: _____

Form – III*[See rule 21(2)]***FORM FOR NOTIFICATION OF NAVIGABLE RIVERS OR CHANNELS LEADING TO A PORT****1. Title of the Notification**

(Short descriptive title indicating the designated stretch of river/ channel)

2. Description of the River/Channel Declared as Navigable Access Route**(a) Name of River/Channels leading to a port:**

(b) Geographical coordinates and any other components, as may be applicable:

- Latitude: _____ Longitude: _____

3. Navigational Aids and Markings (as applicable):

4. Purpose of Notification:

5. Instructions (if any):

6. Date of Commencement:

The notification shall come into force on ____

7. Authority Issuing the Notification:

Name of Department/Ministry: _____

Signature: _____

Name: _____

Designation: _____

Seal: _____

Date: _____

Place: _____

Notes (for the Gazette printer / Port Authority use)

1. The filled form must be published verbatim in the Official Gazette.
2. A digital version of this form shall be uploaded on Government and concerned port website

Form – IV
[See rule 22(4)(a)]
FORM FOR NOTIFICATION OF A NEW PORT

1. Title of Notification

2. Name of the New Port

3. Geospatial Description of Port Limits**(a) Landward Boundary (if applicable)**

Description and coordinates:

(b) Seaward Boundary

Coordinates:

- Point 1: Lat ____ Long ____
- Point 2: Lat ____ Long ____
- Point 3: Lat ____ Long ____

(Additional points may be added as required)

(c) Channels leading to port and Navigational Access:

4. Hydrographic and Navigational Features:

(Attach charts/maps if required)

5. Purpose and Applicability:

(Describe port functions: cargo handling, passenger operations, offshore terminals, etc.)

6. Effective Date of Notification:

7. Issuing Authority:

Name: _____

Designation: _____

Department: _____

Signature: _____

Seal: _____

Date: _____

Place: _____

FORM – V
[See rule 22(4)(b)]
FORM FOR ALTERATION OF PORT LIMITS

1. Title of Notification:

2. Name of the Port:

3. Nature of Alteration:

- ☐ Extension of limits
☐ Reduction of limits
☐ Modification of coordinates
☐ Inclusion of new channels leading to port/anchorage
☐ Exclusion of area
☐ Other (specify):

4. Revised Coordinates of Port Limits:

5. Justification for Alteration:

(Expansion: dredging, new terminals; Restriction: safety, environmental zones, etc.)

6. Maps/Charts Attached:

7. Effective Date:

8. Issuing Authority:

Name: _____

Designation: _____

Signature: _____

Seal: _____

Date: _____

Place: _____

[F. No. PD-24015/1/2025-PD-I/E-378148]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.